

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/बो01/2022/

दिनांक:- 06.2022


कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्र.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	राजेश खरे, प्रधानाचार्य राजमावि सोयल, सीकर	मई 2022	राजमावि, जोधीना (जायल) नागौर
2	मातादीन गीणा, प्रधानाचार्य राजमावि अलादा, दातारामगढ़, सीकर।	मार्च 2022 से मई 2022	राजमावि बाछराज, बाडमेर
3	योगेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सीकरी पट्टी नगर, भरतपुर	जनवरी 2022 से लगातार	श्री लल्लू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खखावली (नगर) भरतपुर
4	संताराम बदी प्रधानाचार्य राजमावि अणतपुरा सांभरलेक जयपुर	मई 2022	राजमावि लाम्हा हरीसिंह, टांक

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25577/2020-21/226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे। क्र.सं 3 पर अंकित अधिकारी का कॉलम संख्या 03 पर अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 4 में अंकित विद्यालय से आगामी आठवें तक/वेतन आहरित किये जाने वाले विद्यालय में प्रधानाचार्य-उमावि के कार्यग्रहण पर (जो भी पहले हो) आहरित किये जावे।

सत्यमेव जयते



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/प्रधाना. व प्र.अ./वेतन व्यवस्था/बो01/2022/139

दिनांक:- 13.06.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
- 3 संयुक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 4 संयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
- 5 संयुक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 संयुक्त कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)